रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1995/कार्तिक 12, 1917
No. 617] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1995/KARTIKA 12, 1917

indiacode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1995

का.आ. 873(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति को इस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए निदेश दिया था कि क्या भारत में कतिपय कीटनाशियों के निरन्तर उपयोग से मनुष्यों या जीवजन्तुओं को ऐसा जोखिम होने वाला है जिससे तुरन्त कार्रवाई करना मनीचीन या आवश्यक है;

और रजिस्ट्रीकरण समिति ने आवश्यक अन्वेषण करने तथा अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण समिति को प्रस्तुत करने के लिए एक नाशक जीवमार पुनर्विलोकन उप-समिति का गठन किया था;

और उक्त नाशक जीवमार पुनर्विलोकन उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण समिति ने 8-12-1993 को हुई अपनी 142वीं बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया और उसकी सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार अग्रेषित की;

और उक्त नाशक जीवमार पुनर्विलोकन उप समिति की रिपोर्ट पर तथा इस पर रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कापर एर्सीटो-आर्सेनाइट, एथिल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम मैथेनआर्सीनेट (एम.एम.एम.ए.), कैल्शियम साइनाइड और मेनाजान के उपयोग से मनुष्यों, जीवजन्तुओं के लिए स्वास्थ्य परिसंकट तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना है;

केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46 की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 8 जून, 1995 के पृष्ठ 1 से 2 पर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 507(अ), तारीख 8 जून, 1995 के अधीन प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में युक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 जुलाई, 1995 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप के संबंध में विचार करने के लिए जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात्:—

(i) भारत में कापर एर्सीटोआर्सेनाइट, एथिल मरकरी क्लोराइड सोडियम मैथेनआर्सीनेट (एम.एम.एम.ए.)] कैल्शियम साइनाइड और मैनाजान के विनिर्माण, आयात तथा इसके उपयोग को प्रतिषिद्ध कर दिया जाएगा;

(ii) उक्त कीटनाशियों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए समझे जाएंगे और अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा उनको जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी।

[फा. सं. 17-57/92-पी.पी.-I]

आई.एस. मल्ही, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1995

S.O. 873(E).—Whereas the Central Government directed the Registration Committee to investigate as to whether the continued use of certain insecticides in India would involve such risks to human being or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas the Registration Commtitee constituted a Pesticides Review Sub-Committee to undertake the requisite investigations and submit its report to the Registration Committee;

And whereas the Registration Committee on receipt of the report of the said Pesticides Review Sub-Committee deliberated it in its 142nd meeting held on 8-12-1993 and forwarded its report to the Central Government with its recommendation;

And whereas the Central Government after considering the report of the said Pesticides Review Sub-Committee as also the recommendation of the Registration Committee thereto is satisfied that the use of Copper acetoarsenite, Ethyl Mercury Chloride, Sodium Methanearsonate (MSMA), Calcium Cyanide and Menazon are likely to involve health hazards to human beings, animals and environment;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published draft notification at pages 1 to 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Sectoin (ii) dated the 8th June, 1995 under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S.O. 507(E), dated the 8th June, 1995 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 3rd July, 1995;

And whereas no objection and suggestion have been received from the public on the said draft for consideration of the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the said Act, the Central Government hereby passes the following orders, namely :—

(i) the manufacture, import and use of Copper acetoarsenite Ethyl Mercury Chloride, Sodium Methanearsonate (MSMA) Calcium Cyanide and Menazon, shall be prohibited in India;

(ii) the Registration Certificates issued by the Registration Committee to various persons under Section 9 of the said Act in respect of the said insecticides shall be deemed to have been cancelled and the validity of the manufacturing licences issued to them by the Licensing Officers shall stand expired.

[F. No. 17-57/92-PP. I]

I. S. MALHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 1995/ज्येष्ठ 18 1917
No. 323] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1995 JYAISTHA 18, 1917

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1995

का. आ. 507(अ):—केन्द्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति की इस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए निदेश दिया था कि क्या भारत में कतिपय कीटनाशियों के निरन्तर उपयोग से मनुष्यों या जीवजन्तुओं को ऐसा जोखिम होने वाला है जिससे तुरन्त कार्यवाई करना समीचीन और आवश्यक है ;

और रजिस्ट्रीकरण समिति ने आवश्यक अन्वेषण करने तथा अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण समिति को प्रस्तुत करने के लिए एक नाशक जीवमार पुनर्विलोकन उप-समिति का गठन किया था;

और उक्त नाशक जीवमार पुनर्विलोकन उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण समिति ने 8-12-1993 को हुई अपनी 142वीं बैठक में इस पर विचार विमर्श किया और सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की ;

और उक्त नाशकजीवमार पुनर्विलोकन उप-समिति की रिपोर्ट तथा इस पर रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कापर ए सी टी अर्सेनाइट, एथिल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम मैथेन अर्सेनेट (एम. एम. ए.) कैल्शियम साइनाइड और मेनाजान के उपयोग से मनुष्यों, जीव जन्तुओं के लिए स्वास्थ्य परिसंकट तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना है;

अतः केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश का प्रस्ताव पारित करती है, अर्थात:—

(i) भारत में कापर ए सी टी अर्सेनाइट इथाइल मरकरी क्लोराइड, सोडियम मैथेन अर्सेनेट (एम. एम. ए.) कैल्शियम साइनाइड और मेनाजान के विनिर्माण, आयात तथा इसके उपयोग को प्रतिषिद्ध कर दिया जाएगा ;

(ii) उक्त कीटनाशियों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा

विभिन्न व्यक्तियों को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए समझे जायेंगे और अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा उनको जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी ।

प्रस्तावित आदेश उक्त कीटनाशियों के रजिस्ट्रीकरण वाली प्रमाणपत्र/विनिर्माण अनुज्ञप्ति, धारकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त आदेश की बाबत आमंत्रित आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् अंतिम अधिसूचना के लिए या अन्यथा विचार किया जाएगा ।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त आदेशों की बाबत इस प्रकार उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार सम्यक् रूप से विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, (पौध संरक्षण) कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएं ।

[फा. सं. 17-57/92-पी. पी. 1]

इन्द्रजीत सिंह मल्ही, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1995

S.O.507(E).—Whereas the Central Government directed the Registration Committee to investigate as to whether the continued use of certain insecticides in India would involve such risks to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action.

And whereas the Registration Committee constituted a Pesticides Review Sub-Committee to undertake the requisite investigations and submit its report to the Registration Committee ;

And whereas the Registration Committee on receipt of the report of the said Pesticides Review Sub-Committee deliberated it in its 142nd meeting held on 8-12-1993 and forwarded its report to the Central Government with its recommendation ;

And whereas the Central Government after considering the report of the said Pesticides Review Sub-Committee as also the recommendation of the Registration Committee thereto is satisfied that the use of Copper acetoarsenite, Ethyl Mercury Chloride, Sodium Methane Arsonate (SMA), Calcium Cyanide and Menazon are likely to involve health hazards to human beings, animals and environment ;

Now, therefore, the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section 2 of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), proposes to pass the following orders, namely :—

(i) the manufacture, import and use of Copper acetoarsenite Ethyl Mercury Chloride, Sodium Methane Arsonate (SMA), Calcium Cyanide and Menazon, shall be prohibited in India ;

(ii) the Registration Certificates issued by the Registration Committee to various persons under Section 9 of the said Act in respect of the said insecticides shall be deemed to have been cancelled and the validity of the manufacturing licences issued to them by the Licensing Officers shall stand expired.

The proposed orders are hereby published for information of all holders of Certificates of Registration Manufacturing Licences of the said insecticides and other persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given inviting their objections or suggestions if any in respect of the said orders which shall be taken into consideration for final notification or otherwise on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Gazette in which this Notification is published are made available to the public ;

Any objections or suggestions which may be received with respect to the said orders before the expiry of the period specified above shall be duly considered by the Central Government ;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture & Co-operation), Krishi Bhawan, New Delhi-110001.

[F. No. 17-57/92-PPI]

I. S. MALHI, It. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995